

Heading:- Caution for Investors	
Source:- Various Publications	Date:- 11 August 2023

Caution for Investors

Sunvilla News : Ahmedabad

It has been brought to the notice of the Exchange that person named “Vinay Ramesh Moon” associated with entity named “Hidden Trader” operating through mobile number “8007023311” is providing securities market tips for trading and assuring returns on investment in stock market and offering to handle trading account of investor by asking investors to share their credentials. The investors are cautioned and advised not to subscribe to any such scheme/product offered by any person/entity offering indicative/assured/guaranteed returns in the stock market as the same is prohibited by law. Further, investors are advised not to share their trading credentials such as user id/

password with anyone. It may also be noted that the said person/entity is not registered either as a member or authorized person of any registered member of the National Stock Exchange of India Limited. Exchange has provided a facility of “Know/Locate your Stock Broker” under the link (<https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker>) on its website, to check the details of the registered member and its Authorised Persons. Further, the designated bank accounts named as client bank accounts to receive/pay money from/to investors as disclosed by the trading members to Exchange are also displayed under the said link. Investors are advised to check the details while dealing with any person/entity.

રોકાણકારો સાવધાન

મુંબઈ | એક્સચેન્જના ધ્યાન ઉપર આવ્યું છે કે “હિડન ટ્રેડર” નામની કંપની સાથે સંકળાયેલા “વિનય રમેશ મૂન” નામના વ્યક્તિ મોબાઇલ નંબર “8007023311” દ્વારા ઓપરેટ કરીને શેરમાર્કેટમાં રોકાણ ઉપર ખાતરીપૂર્વક વળતર અને ટ્રેડિંગ માટે સિક્યુરિટીજ માર્કેટ ટિપ્પણી આપી રહ્યા છે તેમજ તેઓ રોકાણકારોને તેમના કોઈન્શિયલ શેર કરવાનું કહીને તેમના ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટનું સંચાલન કરવાની ઓફર કરી રહ્યા છે. રોકાણકારોને ચેતવણી અને સલાહ આપવામાં આવે છે કે શેરબજારમાં સૂચક/ખાતરીપૂર્વકના/ગેરેટેડ વળતર આપતી કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા આફર કરવાચા આવતી આવી કોઈપણ સ્કીમ/પ્રોડક્ટ સબ્કાર્ટબ ન કરવી કારણ કે તે કાયદા દ્વારા પ્રતિબધિત છે. વધુમાં રોકાણકારોને તેમના યુઝર આઈડી/પાસવર્ડ જેવી ટ્રેડિંગ કોઈન્શિયલ વ્યક્તિ સાથે શેર ન કરવા સલાહ આપવામાં આવે છે. અતે એ પણ નોંધનીય છે કે આ વ્યક્તિ/કંપની નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડના કોઈપણ રજિસ્ટર્ડ સદસ્યના સભ્ય અથવા અધિકૃત વ્યક્તિ તરીકે નોંધાયેલી નથી. એક્સચેન્જ તેની વેબસાઈટ પર <https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker> લિંક હેઠળ “નો/લોકેટ યોર સ્ટોક બ્રોકર” ની સુવિધા પૂરી પાડી છે, જેથી નોંધાયેલા સભ્ય અને અધિકૃત વ્યક્તિઓની વિગતો તપાસી શકાય. વધુમાં, એક્સચેન્જમાં ટ્રેડિંગ સભ્યો દ્વારા જાહેર કરાયેલા રોકાણકારો પાસેથી નાણાં મેળવવા/ચુકવવા માટે કલાયન્ટ બેંક એકાઉન્ટ તરીકે નામ આપવામાં આવેલ નિયુક્ત બેંક ખાતાઓ પણ ઉપરોક્ત લિંક હેઠળ પ્રદર્શિત થાય છે. કોઈપણ એન્ટ્રી સાથે બ્યલાન્સ કરતી વખતે રોકાણકારોને વિગતો તપાસવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આવી પ્રતિબધિત સ્કીમોમાં ભાગ લેવો રોકાણકારના પોતાના જોખમ, ખર્ચ અને પરિણામો ઉપર છે કારણ કે આવી સ્કીમને એક્સચેન્જ દ્વારા ન તો મંજૂર કરવામાં આવે છે કે ન તો તેને સમર્થન આપવામાં આવે છે. રોકાણકારો નોંધ લે કે આવી પ્રતિબધિત સ્કીમને લગતા કોઈપણ પ્રકારના વિવાદો માટે રોકાણકારો પાસે નીચેનામાંથી કોઈ પણ ઉપાય ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.

રોકાણકારો સાવધાન

સનવિલા જ્યુગ, અમદાવાદ, તા. ૧૪

નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડના કોઈપણ રજિસ્ટર્ડ સદસ્યના સત્ય અથવા અવિકૃત વ્યક્તિ તરીકેનોથાયેલી નથી. એક્સચેન્જ તેની સંકળાયેલા “વિનય રમેશ મૂર્ખ” નામના વ્યક્તિ મોખાઈલ નંબર “૮૦૦૭૦૨૩૩૧૧” દ્વારા ઓપરેટ કરીને શેરમાર્કેટમાં રોકાણ ઉપર ખાતરીપૂર્વક વળતર અને ટ્રેડિંગ માટે સિક્યુરિટીઝ માર્કેટ ટિપ્પ આપી રહ્યાં હોય તેમજ તેઓ રોકાણકારોને તેમના ક્રેડિશયલ શેર કરવાનું કરીને તેમના ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટનું સંચાલન કરવાની ઓફર કરી રહ્યાં છે. રોકાણકારોને ચેતવણી અને સલાહ આપવામાં આવે છે કે શેરબજારમાં સૂચક/ખાતરી પૂર્વિકા/ગેરટેડ વળતર આપતી કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારાનોકર કરવામાં આવતી આવી કોઈપણ સ્કીમ/પ્રોડક્ટ સંભકાઈબ ન કરવી કારણ કે તે કાયદા દ્વારા પ્રતિબધિત છે. વધુમાં રોકાણકારોને તેમના સુધર આઈડી/પાસવર્ડ જેવી ટ્રેડિંગ ક્રેડિશયલ કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે શેર ન કરવા સલાહ આપવામાં આવે છે. અતે એ પણ નોંધનીય છે કે આ વ્યક્તિ/કંપની

લિમિટેડના કોઈપણ રજિસ્ટર્ડ સદસ્યના સત્ય અથવા અવિકૃત વ્યક્તિ તરીકેનોથાયેલી નથી. એક્સચેન્જ તેની વેબસાઈટ પર <https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker> લિક હેઠળ “નો/લોકેટ યોર સ્ટોક બ્રોકર” ની શુદ્ધિયા પૂરી પારી છે, જેથી નોંધાયેલા સત્ય અને અવિકૃત વ્યક્તિઓની વિગતો તપાસી શકાય. વધુમાં, એક્સચેન્જમાં ટ્રેડિંગ સભ્યો દ્વારા જાહેર કરાયેલા રોકાણકારો પાસેથી નાણાં મેળવવા/ચુકવવા માટે કલાયન્ટ બેંક એકાઉન્ટ તરીકે નામ આપવામાં આવેલ નિયુક્ત બેંક ખાતાઓ પણ ઉપર રેકન લિક હેઠળ પ્રદર્શિત થાય છે. કોઈપણ એન્ટિટી સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે રોકાણકારોને વિગતો તપાસવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આવી પ્રતિબધિત સ્કીમોમાં ભાગ લેવો રોકાણકારના પોતાના જીએમ, બર્ચ અને પરિશાખમો ઉપર છે કારણ કે આવી સ્કીમને એક્સચેન્જ દ્વારા ન તો મંજૂર કરવામાં આવે છે કે ન તો તેને સમર્થન આપવામાં આવે છે.

Keval News

Headline : Caution for Investors

<https://kevalnews.com/index.php/2023/08/15/caution-for-investors-5/>

It has been brought to the notice of the Exchange that person named “Vinay Ramesh Moon” associated with entity named “Hidden Trader” operating through mobile number “8007023311” is providing securities market tips for trading and assuring returns on investment in stock market and offering to handle trading account of investor by asking investors to share their credentials.

The investors are cautioned and advised not to subscribe to any such scheme/product offered by any person/entity offering indicative/assured/guaranteed returns in the stock market as the same is prohibited by law. Further, investors are advised not to share their trading credentials such as user id/ password with anyone. It may also be noted that the said person/entity is not registered either as a member or authorized person of any registered member of the National Stock Exchange of India Limited. Exchange has provided a facility of “Know/Locate your Stock Broker” under the link (<https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker>) on its website, to check the details of the registered member and its Authorised Persons. Further, the designated bank accounts named as client bank accounts to receive/pay money from/to investors as disclosed by the trading members to Exchange are also displayed under the said link. Investors are advised to check the details while dealing with any person/entity.

Participation in such prohibited schemes is at investors' own risk, cost and consequences as such schemes are neither approved nor endorsed by the Exchange.

The investors may note that for any kind of disputes relating to such prohibited schemes none of the following recourses will be available to investors:

1. Benefits of investor protection under Exchange's Jurisdiction
2. Exchange dispute resolution mechanism
3. Investor grievance redressal mechanism administered by Exchange

Investors are advised to take note of the above.

24 News hour

Headline : Caution for Investors

<https://www.24newshour.com/caution-for-investors-5/>

It has been brought to the notice of the Exchange that person named “Vinay Ramesh Moon” associated with entity named “Hidden Trader” operating through mobile number “8007023311” is providing securities market tips for trading and assuring returns on investment in stock market and offering to handle trading account of investor by asking investors to share their credentials.

The investors are cautioned and advised not to subscribe to any such scheme/product offered by any person/entity offering indicative/assured/guaranteed returns in the stock market as the same is prohibited by law. Further, investors are advised not to share their trading credentials such as user id/ password with anyone. It may also be noted that the said person/entity is not registered either as a member or authorized person of any registered member of the National Stock Exchange of India Limited. Exchange has provided a facility of “Know/Locate your Stock Broker” under the link (<https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker>) on its website, to check the details of the registered member and its Authorised Persons. Further, the designated bank accounts named as client bank accounts to receive/pay money from/to investors as disclosed by the trading members to Exchange are also displayed under the said link. Investors are advised to check the details while dealing with any person/entity.

Participation in such prohibited schemes is at investors' own risk, cost and consequences as such schemes are neither approved nor endorsed by the Exchange.

The investors may note that for any kind of disputes relating to such prohibited schemes none of the following recourses will be available to investors:

1. Benefits of investor protection under Exchange's Jurisdiction
2. Exchange dispute resolution mechanism
3. Investor grievance redressal mechanism administered by Exchange

Investors are advised to take note of the above.

Patrik Jagat

Headline : Caution for Investors

<https://en.patrikajagat.com/2023/08/caution-for-investors-5/>

It has been brought to the notice of the Exchange that person named “Vinay Ramesh Moon” associated with entity named “Hidden Trader” operating through mobile number “8007023311” is providing securities market tips for trading and assuring returns on investment in stock market and offering to handle trading account of investor by asking investors to share their credentials.

The investors are cautioned and advised not to subscribe to any such scheme/product offered by any person/entity offering indicative/assured/guaranteed returns in the stock market as the same is prohibited by law. Further, investors are advised not to share their trading credentials such as user id/ password with anyone. It may also be noted that the said person/entity is not registered either as a member or authorized person of any registered member of the National Stock Exchange of India Limited. Exchange has provided a facility of “Know/Locate your Stock Broker” under the link (<https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker>) on its website, to check the details of the registered member and its Authorised Persons. Further, the designated bank accounts named as client bank accounts to receive/pay money from/to investors as disclosed by the trading members to Exchange are also displayed under the said link. Investors are advised to check the details while dealing with any person/entity.

Participation in such prohibited schemes is at investors’ own risk, cost and consequences as such schemes are neither approved nor endorsed by the Exchange.

The investors may note that for any kind of disputes relating to such prohibited schemes none of the following recourses will be available to investors:

1. Benefits of investor protection under Exchange’s Jurisdiction
2. Exchange dispute resolution mechanism
3. Investor grievance redressal mechanism administered by Exchange

Investors are advised to take note of the above.

The News Equity

Headline : Caution for Investors

<https://thenewsequity.com/caution-for-investors-5/>

It has been brought to the notice of the Exchange that person named “Vinay Ramesh Moon” associated with entity named “Hidden Trader” operating through mobile number “8007023311” is providing securities market tips for trading and assuring returns on investment in stock market and offering to handle trading account of investor by asking investors to share their credentials.

The investors are cautioned and advised not to subscribe to any such scheme/product offered by any person/entity offering indicative/assured/guaranteed returns in the stock market as the same is prohibited by law. Further, investors are advised not to share their trading credentials such as user id/ password with anyone. It may also be noted that the said person/entity is not registered either as a member or authorized person of any registered member of the National Stock Exchange of India Limited. Exchange has provided a facility of “Know/Locate your Stock Broker” under the link (<https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker>) on its website, to check the details of the registered member and its Authorised Persons. Further, the designated bank accounts named as client bank accounts to receive/pay money from/to investors as disclosed by the trading members to Exchange are also displayed under the said link. Investors are advised to check the details while dealing with any person/entity.

Participation in such prohibited schemes is at investors' own risk, cost and consequences as such schemes are neither approved nor endorsed by the Exchange.

The investors may note that for any kind of disputes relating to such prohibited schemes none of the following recourses will be available to investors:

1. Benefits of investor protection under Exchange's Jurisdiction
2. Exchange dispute resolution mechanism
3. Investor grievance redressal mechanism administered by Exchange

Investors are advised to take note of the above.

Headline : निवेशकों के लिए चेतावनी

<https://www.patrikajagat.com/2023/08/warning-for-investors/>

एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया है कि मोबाइल नंबर “8007023311” के माध्यम से संचालित होने वाली “हिडन ट्रैडर” नामक संस्था से जुड़ा “विनय रमेश मून” नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है। साथ ही निवेशकों से उनके क्रेडेंशियल साझा करने के लिए कहकर निवेशक के ट्रेडिंग खाते को संभालने की पेशकश कर रहा है।

निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम/प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति/इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और इसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट

पर <https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker> लिंक के तहत “अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/पता लगाएं” की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को बताए गए निवेशकों से धन प्राप्त करने/भुगतान करने के लिए ग्राहक बैंक खातों के रूप में नामित निर्दिष्ट बैंक खाते भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं।

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इकाई के साथ लेनदेन करते समय विवरण की जांच करें।

ऐसी निषिद्ध योजनाओं में भागीदारी निवेशकों के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर है क्योंकि ऐसी योजनाएं न तो एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित हैं और न ही समर्थित हैं।

निवेशक ध्यान दें कि ऐसी निषिद्ध योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए निवेशकों को निम्नलिखित में से कोई भी सहारा उपलब्ध नहीं होगा:

1. एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र के तहत निवेशक सुरक्षा के लाभ
2. विवाद समाधानसे संबंधित एक्सचेंज मेकेनिज़म
3. एक्सचेंज द्वारा प्रशासित निवेशक शिकायत निवारण तंत्र

निवेशकों को उपरोक्त बातों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

Society News

Headline : निवेशकों के लिए चेतावनी

https://www.societynews.page/2023/08/blog-post_55.html

एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया है कि मोबाइल नंबर "8007023311" के माध्यम से संचालित होने वाली "हिडन ट्रेडर" नामक संस्था से जुड़ा "विनय रमेश मून" नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है। साथ ही निवेशकों से उनके क्रेडेंशियल साझा करने के लिए कहकर निवेशक के ट्रेडिंग खाते को संभालने की पेशकश कर रहा है।

निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम/प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति/इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और इसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर <https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker> लिंक के तहत "अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/पता लगाएं" की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को बताए गए निवेशकों से धन प्राप्त करने/भुगतान करने के लिए ग्राहक बैंक खातों के रूप में नामित निर्दिष्ट बैंक खाते भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इकाई के साथ लेनदेन करते समय विवरण की जांच करें।

ऐसी निषिद्ध योजनाओं में भागीदारी निवेशकों के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर है क्योंकि ऐसी योजनाएं न तो एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित हैं और न ही समर्थित हैं।

निवेशक ध्यान दें कि ऐसी निषिद्ध योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए निवेशकों को निम्नलिखित में से कोई भी सहारा उपलब्ध नहीं होगा:

1. एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र के तहत निवेशक सुरक्षा के लाभ
2. विवाद समाधान से संबंधित एक्सचेंज मेकेनिज़म
3. एक्सचेंज द्वारा प्रशासित निवेशक शिकायत निवारण तंत्र

निवेशकों को उपरोक्त बातों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

The Public Side

Headline : निवेशकों के लिए चेतावनी

https://www.thepublicside.page/2023/08/blog-post_88.html

एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया है कि मोबाइल नंबर "8007023311" के माध्यम से संचालित होने वाली "हिडन ट्रेडर" नामक संस्था से जुड़ा "विनय रमेश मून" नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है। साथ ही निवेशकों से उनके क्रेडेंशियल साझा करने के लिए कहकर निवेशक के ट्रेडिंग खाते को संभालने की पेशकश कर रहा है।

निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम/प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति/इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और इसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर <https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker> लिंक के तहत "अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/पता लगाएं" की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को बताए गए निवेशकों से धन प्राप्त करने/भुगतान करने के लिए ग्राहक बैंक खातों के रूप में नामित निर्दिष्ट बैंक खाते भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इकाई के साथ लेनदेन करते समय विवरण की जांच करें।

ऐसी निषिद्ध योजनाओं में भागीदारी निवेशकों के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर है क्योंकि ऐसी योजनाएं न तो एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित हैं और न ही समर्थित हैं।

निवेशक ध्यान दें कि ऐसी निषिद्ध योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए निवेशकों को निम्नलिखित में से कोई भी सहारा उपलब्ध नहीं होगा:

1. एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र के तहत निवेशक सुरक्षा के लाभ
2. विवाद समाधान से संबंधित एक्सचेंज मेकेनिज़म
3. एक्सचेंज द्वारा प्रशासित निवेशक शिकायत निवारण तंत्र

निवेशकों को उपरोक्त बातों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

The Saransh

Headline : निवेशकों के लिए चेतावनी

https://www.thesaransh.in/2023/08/blog-post_22.html

एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया है कि मोबाइल नंबर "8007023311" के माध्यम से संचालित होने वाली "हिडन ट्रेडर" नामक संस्था से जुड़ा "विनय रमेश मून" नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है। साथ ही निवेशकों से उनके क्रेडेंशियल साझा करने के लिए कहकर निवेशक के ट्रेडिंग खाते को संभालने की पेशकश कर रहा है।

निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम/प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति/इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और इसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर <https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker> लिंक के तहत "अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/पता लगाएं" की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को बताए गए निवेशकों से धन प्राप्त करने/भुगतान करने के लिए ग्राहक बैंक खातों के रूप में नामित निर्दिष्ट बैंक खाते भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इकाई के साथ लेनदेन करते समय विवरण की जांच करें।

ऐसी निषिद्ध योजनाओं में भागीदारी निवेशकों के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर है क्योंकि ऐसी योजनाएं न तो एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित हैं और न ही समर्थित हैं।

निवेशक ध्यान दें कि ऐसी निषिद्ध योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए निवेशकों को निम्नलिखित में से कोई भी सहारा उपलब्ध नहीं होगा:

1. एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र के तहत निवेशक सुरक्षा के लाभ
2. विवाद समाधान से संबंधित एक्सचेंज मेकेनिज्म
3. एक्सचेंज द्वारा प्रशासित निवेशक शिकायत निवारण तंत्र

निवेशकों को उपरोक्त बातों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

Headline : निवेशकों के लिए चेतावनी

https://divyaratna.com/en_US/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%9A%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A5%80/

एक्सचेंज के ध्यान में लाया गया है कि मोबाइल नंबर “8007023311” के माध्यम से संचालित होने वाली “हिडन ट्रॉडर” नामक संस्था से जुड़ा “विनय रमेश मून” नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज मार्केट टिप्स प्रदान कर रहा है और शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न का आश्वासन दे रहा है। साथ ही निवेशकों से उनके क्रेडेंशियल साझा करने के लिए कहकर निवेशक के ट्रेडिंग खाते को संभालने की पेशकश कर रहा है।

निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/सुनिश्चित/गारंटी रिटर्न की पेशकश करने वाले किसी भी व्यक्ति/इकाई द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी स्कीम/प्रॉडक्ट की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति/इकाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और इसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर <https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker> लिंक के तहत “अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/पता लगाएं” की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को बताए गए निवेशकों से धन प्राप्त करने/भुगतान करने के लिए ग्राहक बैंक खातों के रूप में नामित निर्दिष्ट बैंक खाते भी उक्त लिंक के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इकाई के साथ लेनदेन करते समय विवरण की जांच करें।

ऐसी निषिद्ध योजनाओं में भागीदारी निवेशकों के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर है क्योंकि ऐसी योजनाएं न तो एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित हैं और न ही समर्थित हैं।

निवेशक ध्यान दें कि ऐसी निषिद्ध योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए निवेशकों को निम्नलिखित में से कोई भी सहारा उपलब्ध नहीं होगा:

1. एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र के तहत निवेशक सुरक्षा के लाभ
2. विवाद समाधान से संबंधित एक्सचेंज मेकेनिज़म
3. एक्सचेंज द्वारा प्रशासित निवेशक शिकायत निवारण तंत्र

निवेशकों को उपरोक्त बातों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

निवेशकों के हित में जारी